न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 25/2024(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO : 2024/25

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री विष्णु पिता श्री अर्जुनलाल पालीवाल विक्रेता एवं मालिक मैसर्स होटल विष्णु एण्ड रेस्टोरेन्ट एन.एच. 27 मु.पो. गोगुन्दा उदयपुर। स्थाई पता गांव सेमटाल, पो. मजावडी तह. गोगुन्दा उदयपुर मो. 9602416604 ।

—विपक्षी

उपस्थित

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. स्वंय विपक्षी।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

दिनांक 12.06.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन /2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे 04.11.2023 को दोपहर 04.00 पी.एम. वास्ते चेकिंग मैसर्स होटल विष्णु एण्ड रेस्टोरेन्ट एन.एच. 27 मु.पो. गोगुन्दा उदयपुर पर पहूँचा, वहाँ विपक्षी श्री विष्णु पालीवाल उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स होटल विष्णु एण्ड रेस्टोरेन्ट एन.एच. 27 मु.पो. गोगुन्दा, उदयपुर का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

निरीक्षण के समय विक्रेता की रेस्टोरेन्ट पर पर एक फ्रीजर में स्टील की दो कोठीयों में करीब 20 किलोग्राम दही रखा पाया। विकेता ने इसे लंच व डीनर में परोसने हेतु बिकी करने हेतु बताया। पूछने पर मिक्स मिल्क से बना होना बताया। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये दही में से मिक्स कर 1 किलोग्राम दही वास्ते जॉच हेतु खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। क्रय शुदा दही की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 70रू. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा 1 किलोग्राम दही को विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में प्लास्टिक के 4 साफ, सूखे व खाली जारों मे बराबर मात्रा मे भरकर फार्मेलीन की 20 बूंद प्रत्येक जार में डालकर इनका मूँह ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक जार पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं जार को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर **ए.ए–2490** का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो के जार पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो के जार पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/10421 दिनांक 30.11.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/929/एक्ट/2023/931 दिनांक 10.11.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना दही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड पाया गया क्योंकि Milk Solids not Fat 8.5% होना चाहिए था, कि जगह 6.98% पाया गया। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/10420 दिनांक 30.11.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। अभिहित अधिकारी उदयपुर ने पत्र कमांक /FSSA/2024/2427 दिनांक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

19.04.2024 के द्वारा निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पूना से प्राप्त विश्लेषण सर्टिफिकेट नम्बर RFL/P/DO/696/23/62-A/2024 दिनांक 12.01.2024 से उक्त नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक मु.चि.अ./एफ.एस.एस.ए./2024/2592 दिनांक 13.05.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार कर निवेदन किया कि वह छोटा दुकानदार होकर उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, स्वंय शुद्ध दुध कय कर अपने रेस्टोरेन्ट पर ही दही जमाने का कार्य करता है किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं करता है अतः कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विक्रेता की विक्रेता की रेस्टोरेन्ट पर पर एक फ्रीजर मे स्टील की दो कोठीयों में करीब 20 किलोग्राम दही रखा पाया। विकेता ने इसे लंच व डीनर में परोसने हेतु बिकी करने हेतु बताया। पूछने पर मिक्स मिल्क से बना होना बताया। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये दही में से मिक्स कर 1 किलोग्राम दही वास्ते जॉच हेतु खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया, **क्योंकि Milk Solids not Fat 8.5% होना चाहिए था, कि जगह 6.98% पाया गया। निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री पूना से प्राप्त विश्लेषण सर्टिफिकेट नम्बर RFL/P/DO/696/23/62-A/2024 दिनांक 12.01.2024 से भी उक्त नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है।**

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/– शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी आर्थिक दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

चूंकि प्रकरण मे आरोपी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को कुल राशि 15000/–रु अक्षरे रूपया पन्द्रह हजार मात्र के आर्थिक दण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर